

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

परिपत्र

सभी कार चालकों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में कार चालकों से संबंधित रिकार्ड को अद्यतन (update) करने के लिए उनसे संबंधित कुछ जानकारी वांछित है। अतः सभी कार चालकों को निर्देश दिया जाता है कि वह इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म पर उल्लेखित सभी जानकारियां वर्तमान वाहन चालन अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) की प्रतिलिपी के साथ तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजे अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

२३ नोव २०१७

(सुनीता गुप्ता)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दिल्ली

संख्या. ८६०८९-११०/प्रशा.अनु-३/चालक/२०११

दिल्ली, दिनांक ०५ NOV २०१७

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए परिपत्र की प्रति निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, कड़कड़डुमा, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका तथा रोहिणी न्यायालय परिसर दिल्ली।
2. समस्त प्रभारी न्यायाधीश, पूल कार अनुभाग, तीस हजारी, कड़कड़डुमा, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका तथा रोहिणी न्यायालय परिसर दिल्ली।
3. अधीक्षक/अनुभाग प्रभारी, पूल कार अनुभाग, तीस हजारी, कड़कड़डुमा, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका तथा रोहिणी न्यायालय परिसर दिल्ली।
4. वेबसाइट समिति अंग्रेजी/हिन्दी तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।

नोट :- सभी जिला न्यायालय परिसरों के पूल कार अनुभाग, अधीक्षकों/अनुभाग प्रभारियों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार चालकों को इस परिपत्र से अवगत करायें तथा इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म को इकट्ठे अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सभी चालकों ने इसे पूरा भरा है तथा अपने वर्तमान लाईसेंस की प्रतिलिपी इसके साथ संलग्न की है।

२३ नोव २०१७

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दिल्ली

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

प्रशासन अनुभाग-3,
कमरा संख्या 204,
तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली

1. नाम : -----
2. पिता का नाम : -----
3. कर्मचारी कूट संख्या : -----
4. वर्तमान मान्य वाहन चालन लाईसेंस नम्बर : -----
तथा यह लाईसेंस कब तक मान्य है
(प्रमाण स्वरूप लाईसेंस की सत्यापित प्रतिलिपी संलग्न करें) -----
5. नियुक्ति स्थल का पूरा पता : -----

6. वर्तमान निवास स्थान का पूरा पता : -----

7. दूरभाष/मोबाइल नम्बर : -----

अग्रसारित

(चालक के हस्ताक्षर)
दिनांक सहित

अग्रसारित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर